

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 03/2024-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जुलाई, 2024

सा.का.नि. (अ)- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 677(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची के पश्चात, स्पष्टीकरण में, खंड (ii) में, उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-

“बशर्ते कि विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) और इसके अधीन बनाये गये नियमों, समय-समय पर यथासंशोधित, में किसी भी बात के बावजूद, 25 किलोग्राम या 25 लीटर से अधिक मात्रा वाले वस्तुओं के पैकेज (पैकेजों) में कृषि फार्म उपज की आपूर्ति को ‘प्री- पेकेज्ड और लेबल’ वाक्यांश के भीतर की गई आपूर्ति के रूप में नहीं माना जायेगा।” ।

2. यह अधिसूचना 15 जुलाई, 2024 से लागू होगी।

[फाइल सं. 190354/94/2024-टीआरयू]

(नितिश कर्नाटक)
अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 2/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 667(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 21/2023- एकीकृत कर (दर), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 जिसे सा.का.नि. 778 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।